राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

श्री भैरों सिंह शेखावत
मुख्यमंत्री, राजस्थान
का
भाषण

जो उन्होनें
राजस्थान विधान सभा में वर्ष 1996–97 के बजट अनुमान
प्रस्तुत करते समय दिया।

जयपुर, 15 मार्च 1996

3/28

3/28

श्रीमन् !

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमान एवं 1996-97 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. विकास के वर्तमान कार्यक्रमों एवं नीतियों के चलते 6 वर्ष हो गये हैं। इस अवधि में हमने आम आदमी को हमारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु रखा, अप्रत्याशित रूप से विनियोजन बढ़ाया, आर्थिक सुधार किये तथा वांछित नीतिगत परिवर्तन किये ताकि प्रदेश का त्वरित आर्थिक विकास हो और गरीबों के हितों का संवर्धन हो सके। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 1985-90 के पाँच वर्षो की तुलना में 1990-95 की अवधि में प्रदेश में हुई प्रगति का विस्तृत उल्लेख किया गया था। प्रत्येक राजस्थानी इस बात से गौरव महसूस कर सकता है कि राजस्थान में आज प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन अन्य बड़े राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। वर्षो से राज्य को देश में सम्मानजनक स्थान दिलाने के जो सपने हमने देखे थे उनके पूरे होने के दिन अब आ गए हैं।

3. इस बिन्दु पर भी विचार और विश्लेषण आवश्यक है कि विकास कार्यक्रमों में राज्य की भूमिका क्या हो। हमारे राज्य में आज भी

आधारभूत सुविधाओं की कमी है। औद्योगीकरण के साथ-साथ बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग होती है। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर विशेष ध्यान दिया है। चूंकि हमारे स्वयं के उपलब्ध सीमित साधनों से त्वरित विकास नही किया जा सकता अतः हमने परियोजना के आधार पर विश्व बैंक, सीडा (स्वीडन), ओ.ई.सी.एफ. (जापान), के.एफ.डब्लू. (जर्मनी), सीडा (कनाडा) आदि संस्थाओं से बाह्य सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की है। सिंचाई के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये नाबार्ड से भी 110 करोड़ रुपये की सहायता लेने का अनुबन्ध किया है। इसके साथ ही रोजगार योजनाओं के माध्यम से भी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिये समेकित रूप से कार्य करने की चेष्टा की है। सड़क, बाईपास व पुल निर्माण के लिये निजी निवेशकों को विनियोग करने हेतु आमंत्रित किया है। हुडको व अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी मदद ली है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार आने लगा है और आगामी 2-3 वर्षों में और अधिक सुधार हो सकेगा।

4. आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि सामाजिक सेवाओं के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के लिये विशेष विनियोग किया है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का भी अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न

किया है। आर्थिक उदारवाद के बदलते परिवेश में भी इन क्षेत्रों में सरकार की विशेष भूमिका रहेगी। शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाऐं उपलब्ध कराना सरकार अपना प्रथम दायित्व समझती है। वित्तीय कठिनाईयों के होते हुए भी मैंने इन क्षेत्रों में विशेष विनियोग की व्यवस्था की है इससे यह सदन भलीभाँति अवगत है। राजकीय उपक्रमों या सरकार के विभागों द्वारा जो सेवाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जाती हैं, उनकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से लेने के लिये वित्त आयोगों ने निरंतर अनुशंसा की है। भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय, जैसे जल संसाधन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय आदि राज्य सरकारों से इस बारे में अनुशंसाएं करते रहे हैं। इस सदन में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। पूंजीगत आस्तियों के बेहतर संधारण व उपयोग के लिए उनका आधुनिकीकरण व तकनीकी सुदृढ़ीकरण करके इनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना आवश्यक हो गया है अतः मैंने इस बारे में अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया है।

5. मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आज राजस्थान की गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों में की जाती है। नीतिगत परिवर्तन के साथ हमने मानवीय संसाधन

विकास का भी विशेष प्रयास किया है। सम्पूर्ण साक्षरता, शिक्षा का सार्वजनीनकरण व तकनीकी शिक्षा पर विशेष विनियोग राज्य के इस मनोरथ को अभिव्यक्त करते हैं। आर्थिक उदारवाद के फलस्वरूप कमजोर तथा पिछड़े वर्गों, लघु एवं कुटीर उद्योगों, छोटे किसानों आदि के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः हमने उनके हितों का संरक्षण विशेष रूप से किया है। उनके लिये सामाजिक कवच के रूप में सामुदायिक सेवाओं पर विशेष विनियोग किया है तथा उन्हें संरक्षण भी दिया है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में की गई करों की कमी से राज्यों को हस्तांतरित साधनों में कमी आई है और इससे राज्यों की वित्तीय कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार को अपने समस्त करों एवं शुल्कों से प्राप्त राजस्व में से राज्यों को हिस्सा देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से उन करों में, यथा, आयात शुल्क (Customs duty) एवं कंपनी कर (Corporation tax) में, वृद्धि हुई है जिनमें राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता। जिन करों में राज्यों को हिस्सा मिलता है, जैसे आयकर एवं उत्पादन कर, उनमें करों की दरों में कमी आई है।

वर्षों पूर्व सरकारिया कमीशन ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने दसवें वित्त आयोग की उपरोक्त सिफारिश पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही विलम्ब की नीति के कारण राज्यों के आर्थिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दसवें वित्त आयोग ने इस प्रकार के बढ़े हुये डिवीजिबल पूल में से राज्यों को 29 प्रतिशत राशि का अन्तरण करने की सिफारिश की है। मैंने केन्द्रीय सरकार से इस 'वैकल्पिक व्यवस्था' पर शीघ्र ही निर्णय लेने का आग्रह किया है।

7. आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 8765 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय होने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के 11500 करोड़ रुपये के विनियोजन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हमारे लिये अगले वर्ष केवल 2735 करोड़ रुपये की योजना बनाना पर्याप्त होता परन्तु विकास की वर्तमान गति को बनाये रखने के लिये मैं आगामी वर्ष की योजना फिलहाल 3200 करोड़ रुपये की प्रस्तावित कर रहा हूँ। इसके फलस्वरूप हम आठवीं योजना की स्वीकृत राशि 11500 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च करेंगे।

8. अगला वर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है और नवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी का वर्ष भी। आठवीं योजना में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से विकास की जो गति बनी उसे नवीं योजना में बनाये रखना होगा। राज्य की नवीं योजना लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की होने की सम्भावना है। परियोजनाओं के आधार पर कम से कम 5 हजार करोड़ रुपये की बाह्य सहायता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होगा।

9. मैं राजस्थान को एक ऐसे विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें 2001 ईस्वी तक कोई निरक्षर नहीं हो व स्कूल जाने की आयु के सब बच्चे स्कूल जाते हों, कोई गाँव बिना बिजली के नहीं हो, हर व्यक्ति को पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, सभी को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो तथा राज्य में सभी लोगों को रोजगार मिले। इन क्षेत्रों में राजस्थान महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बढ़ता विनियोग तथा तेजी से हो रहा विकास मेरे इस विश्वास का जनक है।

10. विकास की इस महती समग्र दृष्टि (vision) को पूरा करने हेतु अगले वर्ष में निम्न नीति विषयक निर्देश ध्यान में रखे जाएँगे:

(i) एक निरंतर आगे बढ़ने वाली तथा कुशल सार्वजनिक वित्त व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना ताकि वित्तीय संसाधनों में समुचित अभिवृद्धि हो और बढ़े संसाधनों का उपयोग प्रदेश के त्वरित विकास के लिये हो सके।

(ii) नियमों व प्रक्रियाओं के सरलीकरण से प्रशासन सुधार।

(iii) परिवहन, खनन, ऊर्जा और संचार के क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक ढाँचे (Basic Infrastructure) के विकास हेतु राजकीय निवेश के साथ-साथ निजी निवेश को बढ़ावा देना।

(iv) विकेन्द्रित जनतांत्रिक व्यवस्था हेतु पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण व उन्हें संसाधनों का प्रत्यायोजन।

(v) राजकीय परिसम्पत्तियों का समुचित संधारण तथा उपयोग।

(vi) जल संरक्षण, एवं उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग।

(vii) आर्थिक सुधारों के चलते समाज के कमजोर वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक संरचनाओं (Social Infrastructure) यथा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व पेयजल पर विशेष विनियोग।

(viii) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, कृषि विकास, खादी तथा कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना।

(ix) महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रमों का विस्तार एवं उनकी प्रभावी क्रियान्विति।

प्रथम राज्य वित्त आयोग :

11. राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राजकीय कोष से अन्तरण के सम्बन्ध में सिफारिश की है कि (i) आगामी वर्षो से इन संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने शुद्ध कर राजस्व का 2.18 प्रतिशत हिस्सा इन स्थानीय निकायों में वितरित किया जाना चाहिए; (ii) इस अतिरिक्त राशि का वितरण जनसंख्या के अनुपात में

पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं के मध्य किया जाना चाहिए; एवं (iii) यह धनराशि दसवें वित्त आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों के फलस्वरूप दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त दी जायेगी।

12. आयोग ने ग्राम पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु दिये जाने वाले अनुदान की वर्तमान दर 5 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति व्यक्ति किये जाने की सिफारिश की है। इसी प्रकार पंचायत समितियों को सामान्य प्रयोजन हेतु दिये जाने वाले प्रति व्यक्ति अनुदान को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया 25 पैसे करने की भी सिफारिश की है।

13. आयोग ने नगरपालिकाओं को सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान के रूप में वर्तमान में दी जा रही राशि के अलावा 53 करोड़ 93 लाख रुपये पांच वर्षो में देने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 5 वर्षो में 10 करोड़ 48 लाख रुपये विकास सहायता देने की सिफारिश की है।

14. मुझे यह कहते हुए खुशी है कि शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया है और तदनुसार वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 32 करोड़ 95 लाख रुपये तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए 11 करोड़ 53 लाख रुपये के अन्तरण का प्रावधान कर दिया है। आगामी वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को 50 करोड़ 48 लाख रुपये और स्थानीय निकायों को 14 करोड़ 85 लाख रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

आर्थिक समीक्षा

15. इस वर्ष राज्य में अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण खरीफ के उत्पादन में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इससे राज्य घरेलू उत्पाद प्रभावित हुआ है फिर भी त्वरित अनुमानों के आधार पर प्रचलित कीमतों पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद 32 हजार 989 करोड़ रुपये का होने की संभावना है जो कि विगत वर्ष से 8.43 प्रतिशत अधिक होगा। प्रचलित कीमतों पर इस वर्ष की अनुमानित प्रति व्यक्ति 6 हजार 810 रुपये की आय, गत वर्ष की प्रति व्यक्ति आय से 6.31 प्रतिशत अधिक है।

वार्षिक योजनागत विनियोजन (1996-97) :

16. तदर्थ रूप से आगामी वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 3200 करोड़ रुपये रखा गया है। 1996-97 की वार्षिक योजना में सर्वाधिक वरीयता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गई है जिन पर 29.60 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा पर 22.92 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 14.20 प्रतिशत, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर 9.83 प्रतिशत व उद्योग तथा खनिज पर 3.99 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित किया गया है। वार्षिक योजना की कुल राशि का 63 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा।

17. चालू वर्ष में बाह्य सहायता से पोषित परियोजनाओं पर 393 करोड़ 66 लाख रुपये के व्यय की तुलना में, अगले वर्ष के लिये 436 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस समय चल रही 13 परियोजनाओं के अलावा 15 नवीन योजनाओं के लिये बाह्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा :

18. सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत योजना मद में आगामी वर्ष हेतु 375 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो चालू वर्ष के प्रावधान से 63 करोड़ 38 लाख रुपये अधिक है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले छः वर्षों से लगातार शिक्षा के बजट को विशेष रूप से बढ़ाया जा रहा है ताकि देश में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य होने का कलंक 2001 ईस्वी तक मिटाया जा सके।

19. वर्तमान में 5 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम तथा 19 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है। अगले वर्ष में शेष 7 जिलों में भी सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रारम्भ कर दिया जायेगा ताकि पूरे राज्य को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का लाभ मिल सके।

20. आगामी वर्ष 500 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इससे सारे राज्य में निर्धारित मापदण्ड से गाँवों में प्राथमिक शालाएं खोलने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। यह एक महती उपलब्धि होगी। 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 85 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में तथा 70

माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसमें से जनसहयोग से 35 माध्यमिक विद्यालय व 20 सीनियर माध्यमिक विद्यालय होंगे।

21. जनसहभागिता के आधार पर विद्यालयों को माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जाएगी।

22. बोर्ड की माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक परीक्षा परिणामों में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 50 हजार रुपये तथा प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 25 हजार रुपये की राशि पुरुस्कारस्वरूप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

23. सबके लिये प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा इसमें गुणात्मक सुधार करने की दृष्टि से सीडा के सहयोग से चल रही शिक्षाकर्मी योजना इस समय 1410 ग्रामों में चल रही है। अगले वर्ष इस योजना को 300 अतिरिक्त ग्रामों में लागू किया जायेगा। लोक

जुम्बिश कार्यक्रम अभी 42 विकास खण्डों में चल रहा है, अगले वर्ष इस योजना को 15 नये विकास खण्डों में लागू किया जायेगा।

24. राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये "विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना" लागू किया जाना प्रस्तावित है। दुर्घटना में किसी विद्यार्थी की मृत्यु होने पर या दो अंगों की क्षति होने पर अधिकतम 10 हजार रुपये तथा एक अंग की क्षति होने पर 5 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति इस योजना में बीमा कम्पनी द्वारा की जाएगी।

25. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरस्वती योजना 8 जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना की उपयोगिता और सफलता को देखते हुए इसका पूरे राज्य में विस्तार किया जायेगा तथा अगले वर्ष 1000 नई सरस्वती शालाएँ प्रारंभ की जाएँगी। इसके अतिरिक्त 4 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जाएँगे।

26. विद्यालय भवनों के मरम्मत कार्य में जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि स्थानीय समुदाय द्वारा देने पर शेष

50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य हेतु अगले वर्ष 2 करोड़ रुपये का प्रावधान रखने का प्रस्ताव है।

27. संस्कृत शिक्षा के विकास के लिये सरकार प्रयत्नशील है। राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने एवं संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

28. राजस्थानी भाषा व साहित्य के सृजन एवं प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी से विमर्श करके प्रत्येक वर्ष राजस्थानी भाषा व साहित्य के संवर्धन की दिशा में किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार देने हेतु 5 लाख रुपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

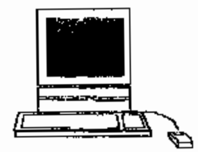

उच्च शिक्षा :

29. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आगामी वर्ष 3 नये महिला महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है तथा राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है।

तकनीकी शिक्षा :

30. मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर में 180 छात्रों तथा 90 छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण आगामी वर्ष कराया जायेगा। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के उदयपुर स्थित एग्रो-इंजीनियरिंग संकाय में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

31. महिला पॉलीटेक्नीक संस्थान, जयपुर व कोटा की प्रवेश क्षमता में 50 स्थानों की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव हैं।

विद्युत् :

32. चालू वर्ष में विद्युत् तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। इस वर्ष जनवरी, 1996 तक विभिन्न सब-स्टेशनों पर 808 एम.वी.ए. क्षमता की वृद्धि की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 226 एमवीए की वृद्धि हुई थी।

33. मेड़ता में 220 के.वी. का एक सब-स्टेशन चालू कर दिया गया है। बाली एवं बालोतरा में 220 के.वी. के सब-स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। 132 के.वी. के दो सब-स्टेशन श्री महावीरजी एवं सलुम्बर में चालू किये जा चुके हैं।

34. मथानिया में बनने वाले 35 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा विद्युत् संयंत्र की परियोजना निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी है। ग्लोबल एन्वायरन्मैन्टल फेसिलिटी (जी.ई.एफ.) से इस परियोजना हेतु लगभग 150 करोड़ रुपये का अनुदान मिलने की सम्भावना है। इस योजना की प्रारम्भिक तैयारी हेतु जी.ई.एफ. द्वारा 7.50 लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

35. पिछले वर्ष रबी की फसल में लगभग 500 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध होने की तुलना में इस वर्ष की बिजली की दैनिक उपलब्धि 600 लाख यूनिट रही है। केन्द्रीय विद्युत्-गृहों की कुछ इकाइयों के असमय बन्द रहने, राजस्थान अणु विद्युत्-गृहों की दोनों इकाइयों के बन्द हो जाने तथा गैस विद्युत्-गृहों को आवंटित गैस में कमी से उत्पन्न बिजली की कमी को केन्द्रीय विद्युत् गृहों से यथासम्भव ऊँची दरों पर विद्युत् क्रय करके पूरा किया गया। विद्युत् क्रय की

अधिकतम दर - चमेरा से 372 पैसे प्रति यूनिट रही है। इन परिस्थितियों के बावजूद भी इस वर्ष दिसम्बर, 1995 तक गत वर्ष की तुलना में 14.7 प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष दिसम्बर माह तक 758 करोड़ 40 लाख रुपये की बिजली खरीदी गई है जो पिछले वर्ष खरीदी बिजली से 33.4 प्रतिशत अधिक है। इससे विद्युत् मण्डल की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

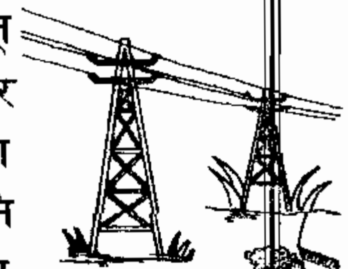

36. अगले वर्ष 400 के.वी. की दो लाइनें सूरतगढ़ तापीय विद्युत् गृह से रतनगढ़ तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। 220 के.वी. के चार सब-स्टेशन हनुमानगढ़, बीकानेर, तिवरी एवं भीनमाल में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है एवं 132 के.वी. के 13 सब-स्टेशन लगाये जाने प्रस्तावित हैं। 33 के.वी. की 1000 किलोमीटर लाइनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 700 ग्रामों के विद्युतीकरण का विद्युत् मण्डल के माध्यम से एवं 50 ग्रामों का विद्युतीकरण रेडा के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। 25 हजार कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि

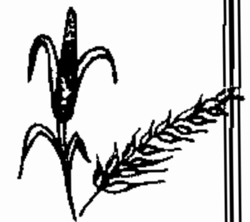

37. कृषि क्षेत्र में विकास की गति को और तीव्र करने की दृष्टि से जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। आगामी वर्ष में 20 हजार फव्वारा सैट लगाने, सिंचाई के लिए 25 लाख मीटर पाइप बिछाने और 50 हजार कुओं के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। गंग, भाखड़ा व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 500 डिग्गियों का निर्माण कराने और उनमें फव्वारा संयत्र लगाने का प्रस्ताव है।

38. किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष में 40 लाख फलदार पौधों का वितरण किया जायेगा जो इस वर्ष की तुलना में 175 प्रतिशत अधिक होगा। राज्य में पौध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी पौधशालाओं के स्वैच्छिक पंजीकरण की योजना प्रारम्भ की जाएगी। 'गोपाल योजना' की तरह ही 'उद्यान सखा' योजना लागू की जायेगी ताकि किसानों को फलों के पौधे लगाने व उनकी देखभाल का ज्ञान गाँव के ही विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति से मिल सके।

39. अगले वर्ष 1500 हेक्टेयर उद्यान क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इस वर्ष के लक्ष्य से तीन गुना है। इसके

लिए किसानों को 15 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर का अनुदान निर्धारित सीमा तक दिया जाएगा।

40. जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विकास के लिये इस वर्ष 90 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में अगले वर्ष 125 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

41. कृषि एवं बागवानी की मूल्यवान फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से शीत-गृह, फसलों के डंठल के औद्योगिक उपयोग, कृषि पैकेजिंग, ग्रेडिंग, निर्जलीकरण आदि की नई इकाइयों के लिये पूंजी अनुदान योजना लागू की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 15 लाख रुपये तक का, देय होगा। प्रारम्भ में यह योजना 5 वर्ष के लिए 31 मार्च, 2001 तक चलाई जायेगी।

42. खालों के निर्माण के लिये राजस्थान भूमि विकास बैंक के माध्यम से इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, चम्बल परियोजना आदि के सिंचित क्षेत्र के किसानों को ऋण दिया गया था। माननीय सदस्यों को विदित है कि मैंने पिछली विधान सभा में इन ऋणों की वसूली नहीं

करने की घोषणा की थी। हमने भारत सरकार व नाबार्ड से इन ऋणों में राहत देने का अनुरोध किया था, पर किसानों के हित में किये गये हमारे इस अनुरोध को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बैंकों से चर्चा करके अब सरकार ने किसानों की ओर से ऐसे ऋणों का भुगतान करने का निर्णय लिया है।

43. इससे पूर्व चम्बल व इन्दिरा गाँधी नहर के सिंचित क्षेत्र में परियोजना क्षेत्र में ख़ालों के निर्माण हेतु परियोजना के आधार पर किसानों ने सीधा बैंकों से ऋण लिया था। ऐसे ऋणों में कृषि व ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 10 हजार रुपये तक की राहत दी गई थी फिर भी, इनमें 1991-92 में लगभग 27 करोड़ रुपये बैंकों का बकाया था। सरकार बैंकों से बातचीत कर इन किसानों को राहत दिलायेगी।

पशुपालन :

44. पशु नस्ल सुधार के लिए 'गोपाल योजना' काफी उपयोगी रही है। चालू वर्ष में 240 गोपालों को प्रशिक्षित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप गोपालों की कुल संख्या 1251 हो जायेगी।

45. राजस्थान मत्स्य नियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि जलाशयों को लम्बी अवधि के लिए ठेकों पर दिया जा सके।

सहकारिता :

46. सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से ग्राम सहकारी सेवा समितियों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने एवं प्रबन्ध समिति में कम से कम एक संचालक महिला प्रतिनिधि के रूप में रखने के लिए नियमों में संशोधन किया जायेगा।

47. साख सहकारी संस्थाओं में बढ़ते हुए असंतुलन की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1992 में प्रारम्भ की गयी असंतुलन-निवारण योजना को आगामी तीन वर्षों के लिये और बढ़ाना प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

48. वर्ष 1996-97 में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण हेतु (इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्र विकास के क्षेत्रों को छोड़कर) 264 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे आगामी

वर्ष में 16 हजार 160 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जायेगी।

49. हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में घग्घर नदी की बाढ़ की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। इस वर्ष भी बाढ़ से काफी हानि हुई थी। अतः राज्य सरकार ने बाढ़ के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत नाली बैड में 1000 फीट चौड़ाई का क्षेत्र जल निकास के लिए सीमांकित कर प्रारम्भिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इस पर प्राप्त आपत्तियों का निपटारा कर अन्तिम नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। बाढ़ का पानी इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में डालने हेतु एक 'इन्टेक स्ट्रक्चर' बनाया जायेगा तथा घग्घर डाइवरशन चैनल की क्षमता बढ़ाई जायेगी। ऐसे कार्यों पर लगभग 20 करोड़ रुपये राशि का खर्च आयेगा। कुछ आवश्यक कार्य तो जून, 1996 तक तथा शेष कार्य तीन वर्ष में पूर्ण करने की योजना है।

सिंचित क्षेत्र विकास :

50. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु अगले वर्ष 82 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 24 करोड़ रुपये

का प्रावधान वृक्षारोपण हेतु निर्धारित है। 71 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य करवाये जाएँगे तथा 87 किलोमीटर के सड़क निर्माण के प्रस्ताव हैं। इसके अतिरिक्त 7050 रनिंग किलोमीटर में नहर के किनारे वृक्षारोपण, 4 हजार 250 हैक्टेयर में टिब्बा स्थिरीकरण व अन्य वृक्षारोपण के कार्य भी करवाए जायेंगे।

51. चम्बल परियोजना हेतु आगामी वर्ष 13 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसमें से 7 करोड़ रुपये राजाड़ परियोजना हेतु रखे गये हैं। चम्बल परियोजना क्षेत्र में 2500 हैक्टेयर में भूमि विकास कार्य तथा 200 किलोमीटर ड्रेनों की मरम्मत एवं खुदाई करवाई जाएगी।

52. माही परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु आगामी वर्ष 75 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में कच्चे धोरों का निर्माण होगा।

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना :

53. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के लिये अगले वर्ष 146 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें 60 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। प्रथम चरण में 4 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की जायेगी। दूसरे चरण में 51 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वितरक नहरें बनाकर दोनों चरणों में कुल 45 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की जायेगी।

विशिष्ट योजनाएं :

54. राज्य सरकार गाँव व गरीब को विकास का केन्द्र-बिन्दु मानते हुए अपने संसाधनों का अधिकांश भाग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय कर रही है। वर्ष 1991-92 में जहाँ ग्रामीण विकास कार्यो पर केवल 262 करोड़ रुपये व्यय किये गये वहीं वर्ष 1996-97 में लगभग 775 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों व योजनाओं पर 570 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इससे करीब 11 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जा सकेगा।

55. पिछले दो वर्षो में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालाओं के भवनों तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों का निर्माण और आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों व पंचायत भवनों का

निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर प्राथमिकता के आधार पर हुआ है। आगामी वर्ष में राज्य सरकार उपरोक्त प्राथमिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ चिकित्सा उपकेन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय, पशु औषधालय, सूखा संभावित व मरु क्षेत्र में तालाब, एनीकट, नाड़ी, जौहड़ आदि के निर्माण के कार्य को विशेष प्राथमिकता देगी, ताकि इन क्षेत्रों में भू-जल स्तर भी बढ़े व बरसात के पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

56. मेवात योजना की भाँति डांग क्षेत्र विकास की विशेष योजना भी प्रारम्भ कर दी गई है। अगले वर्ष इन दोनों योजनाओं के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

57. गरीबी की रेखा से नीचे के 50 हजार परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है व गरीबी की रेखा से नीचे के ऐसे किसान जिनके कुएं सूख गये हैं उनके कुएं गहरे कराने हेतु जीवनधारा योजना के अन्तर्गत 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

वन :

58. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित 86 हजार 900 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 3 करोड़ 30 लाख पौधों के वितरण के लक्ष्यों के मुकाबले जनवरी, 1996 तक 95 हजार से अधिक हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 3 करोड़ 79 लाख पौधों का वितरण कर, लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है।

59. आगामी वर्ष में जापान सरकार के आर्थिक सहयोग से ओ.ई.सी.एफ. योजना के तहत वानिकी विकास परियोजना के अन्तर्गत 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में एवं अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत 34 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

60. ग्लोबल एन्वायरन्मेन्ट फेसिलिटी, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण तथा विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार द्वारा भारतीय पारिस्थितिक विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित देश के आठ क्षेत्रों में रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर को सम्मिलित किया गया है।

पेयजल :

61. पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष पेयजल को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु 754 करोड़ 12 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

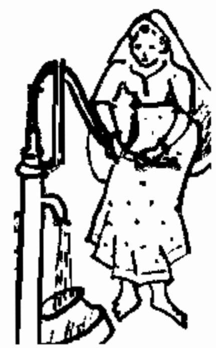

62. इस वर्ष 4 हजार 500 गाँवों व बस्तियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। आगामी वर्ष में 5 हजार गाँवों व बस्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

63. जिन प्राथमिक स्कूलों में 100 मीटर की परिधि में पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनमें चरणबद्ध रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इससे लगभग 10 हजार स्कूल लाभान्वित हो सकेंगे।

64. वर्तमान मापदण्डों के अनुसार वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों हेतु पाइप्ड पेयजल योजना स्वीकृत की जाती है। अब 4 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों के लिये पाइप्ड जल योजना लिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 400 ग्राम लाभान्वित होंगे। ऐसे गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पर पंचायत अथवा ग्रामवासियों द्वारा जनभागिता के रूप में

10 हजार रुपये जमा कराये जाएँगे। ऐसे गाँवों में बनायी जाने वाली पेयजल योजनाओं का संधारण जनता जल योजना की तरह ग्रामवासियों द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

65. वर्तमान में पम्प व टैंक योजना 2 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों के लिये स्वीकृत की जाती रही है। इस को घटाकर 1 हजार 500 की आबादी वाले ग्रामों को इस योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पंचायत अथवा ग्रामवासी जनता जल योजना की भाँति पेयजल योजना के संधारण करने का अनुबंध करते हैं। अगले वर्ष, इस हेतु एक करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

66. पेयजल की अधिक आपूर्ति के लिये एक लाख से कम जनसंख्या वाले 35 कस्बों में पुनर्गठित योजना का सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित है।

67. टी.एस.एस. योजना के अन्तर्गत पुराने पम्प सैटों की मरम्मत कर पानी उपलब्ध कराने हेतु एक करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

68. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण (Revitalisation) करने हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

69. अगले वर्ष ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व राज्य योजना में पेयजल एवं गंदे जल के निकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। राज्य के सभी जिलों में आगामी वर्ष 'तीस जिला तीस काम योजना' के अन्तर्गत पेयजल की प्रवृत्ति चयनित की जायेगी। सांसदों से भी अनुरोध किया जायेगा कि वे स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं व नाली निर्माण को विशेष प्राथमिकता दें। अपना गाँव अपना काम योजना में भी यही प्राथमिकता रखी जायेगी ताकि पेयजल समस्या के निराकरण हेतु विशेष प्रयास किये जा सकें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

70. सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। चालू वर्ष में 700 उपकेन्द्र खोले गये हैं। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 700 नये उपकेन्द्र और खोले जाने प्रस्तावित हैं। ये उपकेन्द्र उन पंचायतों में स्थापित

किये जायेंगे जहाँ कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक, यूनानी या होमियोपैथिक चिकित्सालय नहीं है। 20 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले जायेंगे।

71. अगले वर्ष सभी जिलों में लाईसेन्सशुदा रक्त बैंक स्थापित कर दिये जायेंगे। साथ ही 5 चिकित्सालयों में सघन चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी।

72. स्वास्थ्यकर्मी योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। अगले वर्ष इस योजना को 30 और पंचायत समितियों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

73. दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जयपुर में एक ट्रोमा चिकित्सालय स्थापित किया जायेगा।

महिला व बाल विकास :

74. आगामी वर्ष चार अतिरिक्त जिलों में महिला विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। इसके पश्चात् राज्य के सभी जिलों में यह कार्यक्रम लागू हो जायेगा।

75. ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों के विकास की योजना (द्वाकरा) वर्तमान में राज्य की 144 पंचायत समितियों में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के चयनित परिवारों की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाकर ऋण व अनुदान की राशि से लाभान्वित किया जाता है। आगामी दो-तीन वर्षों में सभी पंचायत समितियों में इस योजना को लागू कर दिया जायेगा। अगले वर्ष 30 नये विकास खण्डों में इस योजना को लागू किया जायेगा। 600 नये महिला समूह गठित कर 9 हजार महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामान की विपणन व्यवस्था हेतु राज्य में सुरंगी विपणन केन्द्र भी प्रारम्भ करने की योजना है।

76. सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिये सरपंचों, पंचों, प्रधानों, प्रमुखों, वार्ड सदस्यों तथा अध्यक्षों के लिंये आरक्षण की व्यवस्था करने से महिलाओं में एक नई जागृति आई है, उनका सामाजिक दर्जा बढ़ा है तथा प्रशासन व सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बनी है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिये बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं को रोजगार के

अधिक अवसर देने के लिये सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा। पुलिस विभाग में यह आरक्षण 10 प्रतिशत होगा।

77. विवाह का बढ़ता व्यय हम सभी के लिये चिंता का विषय है। सामूहिक विवाहों के आयोजन से ही इस की रोकथाम हो सकती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये तथा विवाहों पर होने वाले व्यय को रोकने के लिये मैं, ऐसे प्रत्येक सामूहिक विवाह के आयोजन पर, जिसमें कम से कम 25 जोड़े शामिल हों, सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े को 1000 रुपये की दर से 25,000 रुपये देने का प्रस्ताव करता हूँ।

78. माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे स्वयं भी ऐसे विवाह समारोहों में भाग लेकर इनकी लोकप्रियता बढ़ायें तथा अपनी ओर से अपने-अपने क्षेत्रों में सामूहिक विवाहों का आयोजन कराने की पहल करें।

समाज कल्याण

79. राज्य महिला सदन में आवासिनियों के वैवाहिक पुनर्वास के लिए वर्तमान में दी जाने वाली एक हजार रुपये की राशि बढ़ाकर 5 हजार रुपये किये जाने का प्रस्ताव है।

80. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर एक मुश्त 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। इस वर्ग की छात्रा बोर्ड की परीक्षा में योग्यता में प्रथम 20 स्थानों में आती है तो उसे 5 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

81. आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये 20 नये छात्रावास प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होंगे।

82. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष 20 छात्रावास भवनों का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिस पर कुल 3 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

83. वर्तमान में विकलांगों को अधिकतम 1 हजार 500 रुपये उपकरण सहायता के रूप में प्रदान किये जाते हैं। इस राशि को बढ़ाया जाकर 2 हजार 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

84. दृष्टि-बाधितों के लिए राज्य में संचालित राजकीय एवं अनुदानित विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ब्रेल लिपि की पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

85. श्रवण एवं दृष्टि-बाधितों के लिए स्थापित विशेष विद्यालयों के लिए अप्रशिक्षित अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने हेतु एक-एक शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र भीलवाड़ा एवं श्रीगंगानगर में स्थापित किए जाएँगे।

86. पिछले कई वर्षो से अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये विशेष आर्थिक कार्यक्रम चल रहे हैं। इन वर्गो को राजकीय सेवा में आरक्षण का लाभ भी दिया गया है। इन वर्गो में कुछ जातियाँ जैसे हरिजन, भंगी, मेहतर, वाल्मिकी, सांसी, कंजर, बावरी, कालबेलिये, चाण्डाल, डोम, मदारी, सपेरा, बावरिया, बाजीगर, आदिधर्मी, भील, डामोर, गरासिया व सहरिया आदि ऐसी हैं जिन्हें कल्याण कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं मिला है तथा ये लोग आज भी विकास की धारा से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाये हैं। इन वर्गो का समुचित विकास न होना हम सब की चिंता का विषय है। सरकार इन वर्गो के उत्थान के लिये कृत-संकल्प है। इन वर्गो को वर्तमान व्यवस्थाओं का उचित लाभ किस

प्रकार मिल सके, इस पर विचार करने के लिये सरकार शीघ्र ही एक आयोग का गठन करेगी।

सैनिक कल्याण :

87. राज्य सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को पेंशन या पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। इस हेतु आगामी वर्ष में 77 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिससे 6 हजार 472 भूतपूर्व सैनिक एवं विधवाएँ लाभान्वित होंगी।

88. हमें इस बात का गर्व है कि सेना व अर्द्धसैन्य बलों में कार्यरत हमारे लोग जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विघटनकारी तत्वों व आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं सुरक्षा कार्यवाही में शहीद हुए प्रत्येक सैनिक के परिवार के लिये 10 हजार रुपये की सहायता देना प्रस्तावित करता हूँ।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

89. अगले वर्ष जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 9 नये छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे तथा 6 नये छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

90. बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में 'स्वच्छ' के माध्यम से फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्य के लिये अगले वर्ष 1 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

91. बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में स्थित सहरिया आदिम जाति के विकास के लिये आगामी वर्ष में 98 लाख रुपये व्यय करने की योजना बनाई गई है।

श्रम एवं रोजगार :

92. पिछले वर्षो में अधिक औद्योगिक विनियोजन से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। माननीय सदस्यों की सामान्य शिकायत रहती है कि स्थानीय व्यक्तियों को उनके क्षेत्र में स्थित उद्योगों में रोजगार नहीं मिल पाता। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि जो उद्यमी राज्य सरकार से उद्योग लगाने के लिये विभिन्न सुविधाएं लेते हैं उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे अकुशल श्रमिकों में 70 प्रतिशत व कुशल श्रमिको में कम से कम 50 प्रतिशत तक नियोजन स्थानीय लोगों का करें। सरकार के इस निर्णय से राज्य के लोगों को नियोजन के विशेष अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और बेरोजगारी की समस्या का हल निकल सकेगा।

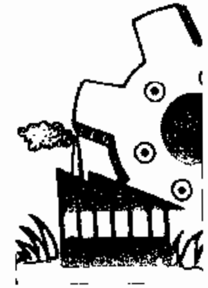

उद्योग :

93. औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के फलस्वरूप राजस्थान अब निवेशकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है और इसके आशातीत परिणाम सामने आये हैं। विभिन्न निवेशकों द्वारा अगस्त 1991 से अक्टूबर 1994 के मध्य 15 हजार 291 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश हेतु उद्यमिता ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत किये गये थे जो कि बढ़ कर दिसम्बर 1995 तक 22 हजार 753 करोड़ रुपये के हो गये हैं। अब अधिकांश विनियोजन उद्यमिता ज्ञापनों (आई.ई.एम्स.) से परिलक्षित होता है। इन उद्यमिता ज्ञापनों के आधार पर नवम्बर, 1994 से दिसम्बर, 1995 तक प्रदेश में प्रस्तावित विनियोजन में 48.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य में, उक्त अवधि में इन ज्ञापनों में प्रस्तावित निवेश से इंगित वृद्धि प्रतिशत केवल गुजरात और तमिलनाडु से कम है।

94. हम अभी भी आधारभूत ढाँचे के सुदृढ़ीकरण को सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में अगले वर्ष को 'Quality Infrastructure Year' के रूप में मनाया जायेगा।

95. राज्य सरकार तीव्र औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत ढाँचे के क्षेत्र में बृहत्तर परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रोत्साहित करने हेतु कृत-संकल्प है। इसी दिशा में निज़ी और सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त योगदान से पांच करोड़ रुपये की पूंजी द्वारा एक प्रोजेक्ट डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कॉरपोरेशन का प्रबन्धन निजी क्षेत्र द्वारा बड़े पैमाने पर आधारभूत ढाँचे के विकास हेतु निवेश आकर्षित करने के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थायें उक्त कॉरपोरेशन में साझेदार होंगी।

96. आगामी वर्ष में कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे आबूरोड, भिवाड़ी, जोधपुर, नीमराना आदि में सामाजिक आधारभूत सुविधायें यथा - आवास, स्कूल, चिकित्सा सुविधायें आदि विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

97. निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक फ्लोरीकल्चर कॉम्पलेक्स बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त एक हौजरी कॉम्पलेक्स भी बनाया जाना प्रस्तावित है।

98. राजस्थान में सिरैमिक उद्योग की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए बीकानेर में एक सिरैमिक काम्पलेक्स विकसित किया जाएगा।

99. कृषि उत्पादों पर आधारित आधुनिक उद्योगों के विकास की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इंदिरा गाँधी नहर क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स विकसित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

100. ग्राम विकास के लिए अकृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से "रूरल नॉन-फार्म डवलमेन्ट एजेन्सी" (रुडा) नाम की विशेष संस्था का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मानपुर-माचेड़ी, भरतपुर और भिवाड़ी में चर्म आधारित उद्योगों के लिए क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। चर्म आधारित उद्योगों के विकास को गति देने की दृष्टि से राज्य सरकार तथा सैन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टीटयूट के मध्य एक मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही केन्द्रीय फुटवेयर डिजाइन एण्ड डवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट का एक केन्द्र जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। ऊन आधारित उद्योगों के विकास के लिए ब्यावर और बीकानेर में कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। लघु खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में भी लघु खनिजों के विकास हेतु कॉम्पलेक्स बनाये जाएँगे।

101. हस्तकला, हाथकरघा एवं कृषि उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार और स्वावलम्बन के अधिक अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए राजस्थान हाथ करघा विकास निगम द्वारा कोटा एवं बूँदी जिलों में महिला बुनकरों के लिए तथा बांसवाड़ा एवं चितौड़गढ़ जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं जालौर तथा सिरोही जिलों में अनुसूचित जाति के बुनकरों के लाभार्थ 3 परियोजनायें हाथ में ली जा रही हैं।

102. खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशेष रोजगार योजना दौसा जिले में इस वर्ष प्रारम्भ की गयी। इस योजना की उपयोगिता को देखते हुए उदयपुर, टोंक व जयपुर जिलों में भी ऐसी योजनायें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से चलाई जायेंगी।

103. कोलायत, तारानगर, बालोतरा, नीमकाथाना, सीमलवाड़ा, सलूम्बर और बीकानेर पंचायत समितियों में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक और योजना प्रारम्भ की जा रही है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के विपणन के लिए 'हाट योजना' लागू की गयी है। खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु आगामी वर्ष में सांगानेर व पुष्कर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

104. आर्थिक उदारवाद और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह आवश्यक है कि उद्यमिता विकास व प्रबन्ध प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य से जयपुर में उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

105. उद्योगों की स्थापना के लिये कई किसानों को अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ता है एवं गाँवों के उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव पड़ता है। ऐसे किसानों के लिये वैकल्पिक रोजगार जुटाने व गाँवों में सामुदायिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'रीको' और बड़े उद्योगों की सहायता से, एक कौशल विकास एवं ग्रामीण सुविधा कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

106. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है राज्य के 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के अलावा सभी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को पूंजी विनियोजन अनुदान की सुविधा 31 मार्च 1997 तक उपलब्ध है। पिछले वर्ष राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में यह सुविधा एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी। यह अवधि 31 मार्च, 1996 को समाप्त हो रही है। ऐसी इकाइयाँ जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक 50 प्रतिशत विनियोजन कर लिया है तथा जो

31 मार्च, 1997 से पूर्व उत्पादन में आ जाएंगी को यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।

107. राज्य सरकार का यह दृढ़ मत है कि उद्योगों की मूल आवश्यकता सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) है। नई औद्योगिक नीति में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर को ही सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इसी नीति के अनुसरण में यह प्रस्तावित है कि औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु एक विशेष कोष स्थापित किया जाए। इसके लिये प्रारम्भ में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसका उपयोग एक मास्टर प्लान के आधार पर किया जाएगा।

खनिज :

108. खनिज क्षेत्र में वर्ष 1995 हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विकास का वर्ष रहा है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा बाड़मेर जिले के गिरल क्षेत्र में लिग्नाइट का खनन प्रारम्भ कर उपभोक्ताओं को लिग्नाइट उपलब्ध कराया जा रहा है। विश्व की एक बहुत बड़ी कम्पनी, शैल ऑयल द्वारा बाड़मेर व सांचोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल व प्राकृतिक गैस की खोज की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

109. नई खनिज नीति के लागू होने के पश्चात् 29 क्षेत्रों में 10 लाख टन प्रतिवर्ष या इससे अधिक क्षमता के सीमेंट प्लांट लगाने के उद्देश्य से खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये हैं या भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। इनमें 13 प्रस्ताव खनन पट्टों हेतु हैं जिन पर बड़े सीमेंट प्लांट स्थापित होने की पूर्ण संभावनाएं हैं तथा शेष 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों हेतु हैं जिन पर भी सीमेंट प्लांट स्थापित होने की आशा है।

110. मार्बल व ग्रेनाइट नीतियों की घोषणा के पश्चात् 30.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मार्बल व ग्रेनाइट की खोज की जाकर 311 प्लाट्स का चयन किया गया है। इन नीतियों के आने के पश्चात् विनियोजन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

पर्यटन :

111. पर्यटन की दृष्टि से 1995 एक सफल वर्ष रहा है। जहाँ वर्ष 1994 में 47 लाख भारतीय एवं 4 लाख 36 हजार विदेशी पर्यटक राजस्थान में आये वहीं 1995 में 53 लाख भारतीय व 5 लाख 35 हजार विदेशी पर्यटक राजस्थान आये। सितंबर 1995 से बड़ी लाइन पर

नई पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चालू कर दी गई है। पर्यटकों में इस रेलगाड़ी को लेकर काफी उत्साह है। शेखावाटी क्षेत्र के लिये भी छोटी लाइन पर पर्यटन गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

112. जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दृष्टि से हवाई पट्टी के विस्तार के प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अजमेर में दरगाह शरीफ़ एवं पुष्कर तीर्थ में आने वाले यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हवाई पट्टी निर्माण हेतु 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

113. विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से जोधपुर में एक होटल प्रबंध संस्थान खोलने की योजना बनाई गई है। उदयपुर में फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट हेतु नया भवन बनाया जा रहा है ताकि अतिरिक्त पाठ्यक्रम चलाये जा सकें।

114. अगले वर्ष "ग्रामीण पर्यटन" योजना भी प्रारंभ की जाएगी। इसके अन्तर्गत पर्यटन महत्व के गाँवों का विकास किया जाएगा।

115. राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में होटल, मनोरंजन पार्क, रिजोर्ट आदि पर्यटन इकाइयां स्थापित करने हेतु भूमि बैंक स्थापित करना प्रस्तावित है।

यातायात :

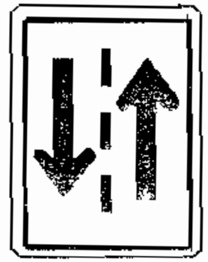

116. राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा अजमेर में संचालित वाहन चालक प्रशिक्षण विद्यालय में अब निजी वाहन चालक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार का एक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में भी खोला जायेगा। भविष्य में जिला स्तर पर भी वाहन चालक प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना किये जाने की योजना है।

117. राज्य सरकार द्वारा एक परिवहन नीति बनाई जा रही है जिससे जनता को अधिक से अधिक परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी।

सड़क निर्माण :

118. इस वर्ष 1800 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया गया एवं 727 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त 845 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृतियाँ जारी की गईं।

संस्थागत वित्त प्राप्त कर सात उपमार्गों, एक पुल व एक सुरंग का निर्माण प्रारम्भ किया गया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 63 करोड़ 81 लाख रुपये है।

119. अगले वर्ष के लिये सड़क निर्माण हेतु 454 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा 3500 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाने व 900 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :

120. सहभागिता के आधार पर नगरीय क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये 30 करोड़ रुपये का प्रावधान सहभागी नगर विकास योजना में किया गया था। इस योजना की उपादेयता को देखते हुए अगले वर्ष भी समुचित प्रावधान किया गया है जिससे एक बड़ी राशि जनसहयोग व नगरपालिकाओं के योगदान से सामुदायिक सेवाओं के लिये उपलब्ध हो सकेगी।

121. पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्ची बस्तियों के विकास हेतु अगले वर्ष में 3 करोड़ 20 लाख रुपये व्यय किये जाएँगे तथा इससे 40 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

122. अवैध रूप से 1 जनवरी, 1991 तक बनी कच्ची बस्तियों का नियमन करने के लिए निर्धारित मापदण्डों से सर्वेक्षण का कार्य अगले वर्ष किया जाएगा ताकि इनका शीघ्र ही नियमन किया जा सके।

123. नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत 1996-97 में 10 हजार 370 परिवारों को स्वरोजगार हेतु लाभान्वित किया जाएगा तथा 5 हजार 750 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

124. विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण के उद्देश्य से नगरीय भूमि के मास्टर प्लान में अंकित भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकार संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्तों एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों को दिये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त नगर सुधार न्यास शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 में रियायती दर से आवंटित भूखण्डों के दस वर्ष से पूर्व अन्तरण पर लगे प्रतिबन्ध को भी हटा दिया गया है। साथ ही वर्तमान में लागू दो तिहाई निर्माण एवं एक रिहायशी यूनिट निर्माण की शर्त को हटाकर पूर्ण राशि जमा होने पर बिना निर्माण के भूखण्ड की लीज डीड जारी कर पंजीयन कराने का प्रावधान किया जा रहा है।

125. राज्य की एक लाख एवं इससे अधिक आबादी वाली नगरपालिकाओं की सफाई व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन करने हेतु राज्य सरकार आधुनिक उपकरण क्रय करने के लिये 7 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देगी।

राजस्व :

126. राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु आगामी वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किये जाएँगे।

127. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिये रिकॉर्ड रूम के निर्माण व उनमें आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये आगामी वर्ष 2 करोड़ 11 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

देवस्थान :

128. देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मन्दिरों के सर्वांगीण विकास हेतु अगले वर्ष 1 करोड़ रुपये व्यय किये जाएँगे।

129. मन्दिरों की सेवा पूजा हेतु वर्तमान 12 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ा कर अगले वर्ष आठ गुना से भी अधिक अर्थात् 1 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

उपनिवेशन :

130. राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी पट्टे) शर्तें, 1955 की शर्त 6 के अधीन गैर-खातेदारों द्वारा देय मालिकाना राशि एवं सरचार्ज राशि माफ करना प्रस्तावित है।

कानून व व्यवस्था :

131. चालू वर्ष में पुलिस सुदृढ़ीकरण की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने हेतु कई प्रभावी कदम उठाये गये, जिनसे नये थानों का खोलना तथा चौकियों की क्रमोन्नति, पुलिस विधि प्रयोगशाला और पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इसी क्रम में अगले वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में नये थाने, चौकियाँ एवं वृत्त खोलकर जिला पुलिस का पुनर्गठन एवं विस्तार, यातायात पुलिस बल में वृद्धि एवं राज-मार्गों पर मोबाइल पेट्रोलिंग व्यवस्था का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

132. दुर्घटनाओं और अन्य मेडीको-लीगल मामलों में अस्पतालों में पुलिस कार्यवाही में कई बार विलम्ब होता है जिससे दुर्घटनाग्रस्त लोगों की चिकित्सा में भी विलम्ब हो जाता है। पुलिस कार्यवाही में विलम्ब कम करने की दृष्टि से अगले वर्ष बड़े जिला मुख्यालयों पर स्थित अस्पतालों में पुलिस चौकियाँ खोलने का प्रस्ताव है।

133. पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों हेतु मैं आगामी वर्ष के लिये 35 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

विधि तथा न्याय :

134. इस वर्ष 13 नये अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा 100 न्यायिक अधिकारियों की नई नियुक्तियाँ की गई हैं। इससे लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।

135. न्यायालय भवन निर्माण एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 7 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। इतनी ही राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। आगामी वर्ष में भी इन निर्माण कार्यो हेतु समुचित राशि की व्यवस्था की जाएगी।

युवा मामले एवं खेलकूद :

136. राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष शुरू की गयी 'खेल-रत्न' पुरस्कार योजना एवं खेल परियोजनाओं के विकास के लिए चालू की गयी क्रीड़ा संकुल योजनाओं के आशातीत परिणाम सामने आये हैं। इस वर्ष में राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 13 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक तथा 21 कांस्य पदक प्राप्त किये हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में मद्रास में आयोजित साउथ एशियन फैडरेशन खेलों में राज्य के तीन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किये हैं।

137. आगामी वर्ष में राज्य के तीन जिलों बारां, दौसा एवं हनुमानगढ़ में जिला-स्तरीय खेल संकुलों का निर्माण करवाया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण :

138. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के सभी वाजिब भुगतानों के दायित्वों का निर्वहन करती रही है। इस वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पाँचवें वेतन आयोग की अन्तरिम सिफारिशों के अनुसरण में स्वीकृत अन्तरिम राहत के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपने

कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अन्तरिम राहत समय पर स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की व्यवस्था के अनुरूप बोनस भुगतान की गणना एवं दरों में भी संशोधन किया गया है। इन निर्णयों के फलस्वरूप राज्य सरकार पर 240 करोड़ 55 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ा है।

139. केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की दरों एवं गणना पद्धति में संशोधन किया है। मैं राज्य कर्मचारियों हेतु ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा 85 हजार रुपये को बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई, 1993 को देय महंगाई भत्ते को ग्रेच्युटी की गणना हेतु मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। दिनांक 1 अप्रेल, 1996 व उसके पश्चात् सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इस निर्णय से 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा व प्रतिवर्ष सेवा-निवृत्त होने वाले लगभग 10 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

140. राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के पेन्शन दावों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रक्रियाओं में सुधार, सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण की दृष्टि

से राजस्थान सेवा नियमों के पेन्शन भाग को संशोधित कर नये "राजस्थान सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1996" बनाये हैं, जिन्हें अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाना प्रस्तावित है। नये पेन्शन नियमों में स्वीकृति के समस्त अधिकार कार्यालयाध्यक्षों को दे दिये गये हैं। पूर्व में ये अधिकार पेन्शन निदेशालय को ही थे। अब सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृतक कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिला स्तर पर ही अनुकम्पा निधि से शीघ्र आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। इन नियमों में पारिवारिक पेन्शन दरों को भी सुसंगत बनाया गया है तथा कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु होने पर पुलिस, होमगार्ड, यातायात, वन व आबकारी विभागों के कर्मचारियों के मामलों में विशेष पारिवारिक पेन्शन का प्रावधान किया गया है।

141. राज्य सरकार सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के उपलब्ध ज्ञान, सेवा भावना तथा अनुभव का उपयोग करने का विचार रखती है। साक्षरता कार्यक्रम, अस्पताल के मरीजों की देखभाल, उपभोक्ता संरक्षण, विकास योजनाओं, स्वास्थ्य विज्ञान आदि की जनसामान्य को जानकारी देना तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण इत्यादि कार्यों में पेन्शनरों की सेवाओं का स्वैच्छिक आधार पर बिना किसी पारिश्रमिक के उपयोग किया जायेगा।

इस कार्यक्रम के संचालन, प्रशिक्षण, सामग्री, प्रकाशन आदि के लिये 20 लाख रुपये का प्रावधान अगले वर्ष किये जाने का प्रस्ताव है।

जीवन रक्षा व जन कल्याण :

142. आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के हृदय का वाल्व बदलने की स्थिति में मुख्य मंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद दिये जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गरीब, बेसहारा एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को हृदय का एक वाल्व बदले जाने की स्थिति में 15 हजार रुपये तथा दो वाल्व बदले जाने पर 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार की सहायता गुर्दा प्रत्यारोपण के लिये भी दी जायेगी।

भाग-II

143. अब मैं, माननीय सदस्यों एवं राज्य की जनता द्वारा उत्सुकता से प्रतीक्षित बजट में कर व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करुँगा।

144. मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कर नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य का तेजी से आर्थिक विकास करना तथा कृषि, उद्योग एवं व्यापार को नयी दिशा एवं बढ़ावा देना है। राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का पूरा उपयोग हो ताकि उत्पादित माल ही राज्य के बाहर जाये एवं मूल्य संवर्धन का पूरा फ़ायदा हमें मिल सके, करों का भार निर्बल, गरीब व असहाय पर कम से कम हो तथा राज्य की आर्थिक बहबूदी में उन्हें भी उचित हिस्सा मिल सके।

145. मैंने गत वर्षो के बजट प्रस्ताव इन्हीं धारणाओं के अनुसार प्रस्तुत किये थे। इसी क्रम में इस वर्ष के प्रस्तावों एवं कर कानूनों और ढाँचे को और अधिक सरल व सुसंगत बनाने का प्रयास किया है।

146. कर कानून, नियम एवं प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिये जिससे कर के निर्धारण एवं जमा कराने में आसानी हो, व्यापार एवं

उद्योगों का अन्य राज्यों में पलायन न हो तथा कर अपवंचन की प्रवृति को हतोत्साहित किया जा सके। गत 40 वर्षो में हुये कई संशोधनों के फलस्वरूप राज्य का बिक्री कर कानून अत्यधिक जटिल बन गया था। अतः मैंने गत वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य में यथाशीघ्र नवीन विक्रय कर अधिनियम एवं नियम बनाने की घोषणा की थी। मुझे प्रसन्नता है कि सदन की प्रवर समिति की अनुशंषाओं के अनुरूप हमने 1 अक्टूबर, 1995 से एक नये संक्षिप्त, सरलीकृत, पारदर्शी , कानूनी एवं व्यवहारिक दृष्टि से सुसंगत विक्रय कर कानून को राज्य में लागू कर दिया है। मुझे आशा है कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी, ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा देय कर पूरा राजकोष में जमा होगा।

147. माननीय उच्च न्यायालय में बिक्री कर तथा अन्य करों से सम्बन्धित 2 हजार प्रकरण लंबित थे। मैंने गत बजट सत्र में ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये अधिकरण गठित किये जाने का प्रस्ताव रखा था। मुझे खुशी है कि राज्य कराधान अधिकरण का गठन किया जा चुका है। इससे कर निर्धारण, वसूली इत्यादि से सम्बन्धित विवाद शीघ्रतर निर्णित हो सकेगें।

148. राज्य में निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य मार्गों पर समस्त परिवहन व वाणिज्यिक कर चैक-पोस्ट दिनांक 1 मई, 1995 से समाप्त कर दी गई हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षकों द्वारा स्वयं के स्तर से निरीक्षण किए जाने पर भी पाबन्दी लगा दी गई है। अब केवल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर ही ऐसे निरीक्षण किये जा सकेंगे।

149. मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने कर व्यवस्था में सुधार के क्रम में सम्पूर्ण देश को नई दिशा देने में पहल करते हुए, दिनांक 1 अक्टूबर, 1995 से राज्य में एक नवीन महत्वाकांक्षी स्व-कर निर्धारण योजना लागू कर दी है। इस योजना के अधीन व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के अनुरूप कर-निर्धारण सम्पूरित किये जाने की व्यवस्था है।

150. गत बजट में घोषित "डीम्ड असेसमेन्ट स्कीम" का क्रियान्वयन भी उत्साहवर्धक रहा है। अल्पकालावधि में ही इस योजना के अधीन आने वाले व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों को मान्यता देते हुए लम्बित समस्त 92 हजार 178 कर निर्धारण, व्यवहारियों की कार्यालय में उपस्थिति के बिना ही सम्पूरित कर दिए गए हैं।

151. मेरे द्वारा घोषित प्रशमन प्रणाली की "ग्रीन चैनल योजना" के अन्तर्गत ईंट-भट्टे, सर्राफा, मिनी सीमेन्ट प्लांट, हलवाईयों तथा खांडसारी व्यापार को सम्मिलित किया जा चुका हैं। योजना का विकल्प देने वाले व्यवहारियों को एक निश्चित कर राशि जमा कराने पर कर निर्धारण व निरीक्षण से पूर्णतया मुक्त रखा गया हैं।

152. यह सही है कि करों से ही राज्य के चहुंमुखी विकास के लिये आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। मेरा यह मानना है कि राजस्व आय में वृद्धि करों की दरें बढ़ाकर नहीं अपितु सरलीकृत व युक्तिसंगत कर नियमों की बेहतर पालना कर की जाए।

153. यद्यपि संगमरमर उद्योग से राज्य में व्यापक औद्योगिक विकास हुआ है लेकिन संगमरमर स्लरी इस उद्योग के कई केन्द्रों के पर्यावरण के लिए एक समस्या बन गई हैं। इसी प्रकार राज्य के विद्युत् उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थर्मल प्लान्टस् से निकलने वाली फ्लाई-ऐश भी भारी प्रदूषण का कारण बन रही है। इस समस्या के निराकरण के उद्देश्य से मैं संगमरमर स्लरी अथवा फ्लाई-ऐश से बने ऐसे उत्पाद, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत स्लरी अथवा फ्लाई-ऐश का भाग हो, के विनिर्माण

करने वाली लघु, मध्यम एवम् वृहत् इकाइयों के लिए 7 वर्ष तक बिना किसी सीमा के कर मुक्ति प्रस्तावित करता हूँ।

154. वर्तमान में शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली ग्वार गम इकाइयों को एक सीमा से अधिक पूंजी निवेश पर ही क्रय कर में पूर्ण अथवा आशिंक छूट उपलब्ध है। अब मैं पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त करते हुये, दिनांक 31 मार्च, 1997 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने वाली ग्वार गम की नयी इकाइयों को, जो ग्वार गम का शत-प्रतिशत निर्यात करती हों, कच्चे माल की प्रथम खरीद की तिथि से पाँच वर्ष के लिये क्रय कर से मुक्त करना प्रस्तावित कर रहा हूँ।

155. राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास के लिये विभिन्न करों में छूट के साथ-साथ उद्योगों को आधारभूत ढाँचागत मूल सुविधाएं तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य की वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण राशि का समय पर भुगतान आवश्यक है। नियत समय पर भुगतान नहीं करने वाली ऐसी औद्योगिक इकाइयों को मैं, बिक्री कर की प्रोत्साहन एवं आस्थगन योजनाओं के लाभ से वंचित करना प्रस्तावित कर रहा हूँ। साथ ही उद्योगों में स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करने हेतु यह भी प्रस्तावित है कि भविष्य में ऐसी सुविधा उन्हीं उद्योगों

को दी जाए जिनमें अकुशल श्रमिकों के नियोजन में न्यूनतम 70% तथा कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50% स्थानीय व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध करायें।

156. हमारा राज्य सीमेन्ट उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। सीमेन्ट की नई इकाई को कुछ शर्तों के साथ विक्रय कर प्रोत्साहन व आस्थगन योजना, 1987 एवं 1989 की नकारात्मक सूची में से हटा लिया गया था। राज्य के औद्योगिक विकास के वृहत् परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया कि यह प्रोत्साहन सीमेन्ट इकाई के विस्तार के लिये भी मिलना चाहिये। अतः मैं सीमेन्ट इकाई के विस्तार को भी 1989 की बिक्री कर आस्थगन योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित करता हूँ।

157. वर्तमान में ग्रेनाइट तथा संगमरमर की छोटी एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ही विक्रय कर प्रोत्साहन अथवा आस्थगन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य में ग्रेनाईट तथा संगमरमर के विपुल भण्डार उपलब्ध हैं। अतः इनके समुचित दोहन तथा इस उद्योग की वृहत् इकाइयों की राज्य में स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए मैं, सीमेन्ट इकाइयों के सदृश्य 1989 की विक्रय कर प्रोत्साहन एवं आस्थगन

योजनाओं में ग्रेनाईट तथा संगमरमर पर आधारित इकाइयों को भी विक्रय कर में छूट/आस्थगन का लाभ दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

158. राज्य में प्राकृतिक स्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद भी किसानों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा भाग कृषि से आता है । कृषि को प्रोत्साहन देने एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये मैं निम्न छूट प्रस्तावित करता हूँ :

(i) कृषि उत्पादन में ट्रेक्टर के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुये इनके टायर-ट्यूब्स की कर दर को 6% से कम कर 4% करना प्रस्तावित है।

(ii) कृषि सिंचाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले 10 अश्व-शक्ति तक के डीजल इन्जिन/ सेन्ट्रीफ्यूगल पानी के पम्प तथा 1 अश्व-शक्ति से अधिक क्षमता वाले वाटर पम्पिंग सेट्स में प्रयुक्त पार्ट्स की कर दर को राज्य के कृषकों के हित में 10% से 2% किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) मुख्यरूप से कृषि कार्यों में प्रयुक्त पी.वी.सी. और एच.डी.पी.ई. प्लास्टिक के पाईप व फिटिंग्स की कर दर को भी घटाकर 6% से 4% किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) सोरगम सूडान घास पूर्व में कर मुक्त थी। परन्तु न्यायिक निर्णय से इसे कर योग्य माना जाकर 10% की कर दर निर्धारित की गयी थी। मैंने 1994-95 के बजट प्रस्ताव रखते समय 7 मार्च 1994 से इसे कर मुक्त घोषित कर दिया था। इससे पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में उठने वाले विवादों को समाप्त करने के मन्तव्य से इसे भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

159. मेरी धारणा है कि आर्थिक दृष्टि से समाज के अपेक्षाकृत कमजोर तबके पर कर का भार कम से कम हो। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं, कर की दरों में निम्नानुसार कमी अथवा मुक्ति प्रस्तावित करता हूँ:

(i) 75 रुपये मूल्य तक की डिजिटल घड़ियाँ अब 6% के स्थान पर 4% से कर योग्य रहेगी।

(ii) बर्फ पर कर दर 10% से घटा कर 2% करना प्रस्तावित है।

(iii) वर्तमान में 4% से कर योग्य पानी वाला नारियल, 6% की दर से कर योग्य कत्था एवं पोस्त-दाना तथा 10% की दर से कराधीन कांगनी को पूर्णतया कर मुक्त किया जा रहा है।

(iv) मूंज से बनी कूंची व जेवड़ी (रस्सी), प्राकृतिक शैसल घास से बनी रस्सी एवं सन से बनी सूतली, जो 10% से कर योग्य है, को जनहित में कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(v) अग्नि-शामक, जो 6% की दर से कर योग्य है, को कर मुक्त करना प्रस्तावित है।

(vi) सभी प्रकार के वाद्य-यंत्रों की कर दर मैंने गत वर्ष घटाकर 2% की थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वाद्य संगीत तथा इसके कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अब मैं इन्हें कर मुक्त करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

(vii) हस्त-शिल्पकारों एवं कारीगरों के विभिन्न औजारों को मैंने पूर्व में कर मुक्त करने की प्रक्रिया आरम्भ की थी। इसी क्रम में 10% से कर योग्य पेचकस तथा लोहे की छीणी को भी कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(viii) राज्य के प्रसिद्ध छपाई उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं स्क्रीन डिजाईन, जो वर्तमान में 4% से कर योग्य है, को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

(ix) जनसाधारण द्वारा मकान निर्माण में प्रयुक्त लोहे के कड़े एवं खूंटियाँ, जो अभी 10% से कर योग्य हैं, को कर मुक्त करना प्रस्तावित है।

160. इन बजट प्रस्तावों की संरचना के समय मैंने गृहणियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। इनके द्वारा उपयोग में ली जा रही दैनिक आवश्यकता की निम्न वस्तुओं की मौजूदा कर दरों में कमी किया जाना प्रस्तावित है :-

(i) सभी प्रकार के शिशु-आहार पर कर की दर 6% के स्थान पर 4% प्रस्तावित है ।

(ii) सिलाई मशीन पर कर की दर 10% से घटाकर 6% प्रस्तावित की जाती है।

(iii) कटलरी की वर्तमान कर दर को 10% से घटाकर, धातुओं के बर्तनों के बराबर 2% से कर योग्य रखने का प्रस्ताव है।

(iv) गृहणी की दैनिक उपयोगी वस्तुएं यथा घियाकस, झर, रई, नमकदानी, साबुनदानी, पोंछा, मैलखोरा, डस्ट-पैन, कपड़े टांगने के हैंगर तथा नली-पापड़, जो वर्तमान में 10% की दर से कर योग्य हैं, को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

161. जन स्वास्थ्य के हित में विभिन्न जीवन रक्षक दवाईयों को पूर्व में कर मुक्त किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुये एन्टी-पोलियो वेक्सीन, हार्ट-वाल्व एवं पेसमेकर, जिनकी वर्तमान कर दर 10% है, को पूर्णतया कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

162. कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिये निम्न प्रकार की छूट प्रस्तावित है :-

(i) हमारा राज्य सरसों के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान रखता है । वर्ष 1994-95 में तिलहन एवं इससे विनिर्मित तेल विनिर्माण की नई नीति आरम्भ की गई थी । इस नीति की समीक्षा से स्पष्ट विदित होता है कि विक्रय कर प्रोत्साहन आदि योजनाओं से लाभान्वित होने वाली इकाइयों की प्रतिस्पर्द्धा में पुरानी औद्योगिक इकाईयाँ कर दर के भारी अन्तर के कारण रुग्ण होती जा रही हैं।

नई और पुरानी इकाइयों की इस खाई को कम करने एवं प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने की दृष्टि से मैं तेल विनिर्माण में प्रयुक्त तिलहन के क्रम में नवीन तथा पुरानी दोनो ही प्रकार की ईकाईयों पर 2% करारोपण प्रस्तावित करता हूँ। विनिर्मित खाद्य तेल की राज्य की कर दर को 6% से घटाकर 4% किया जा रहा है तथा इसकी अन्तर्राज्यीय बिक्री कर की दर को वर्तमान 3% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) कर अपवंचन को रोकने के लिए प्रायोगिक तौर पर आज से एक वर्ष के लिये निम्न वस्तुओं पर कर दर कम करना प्रस्तावित है :

(क) बीयरिंग्स तथा टायर-ट्यूब्स को छोड़कर मोटर वाहनों के पार्ट्स पर कर दर 12% से घटाकर 6%;

(ख) बिजली के स्विच, सॉकेट, सिलिंग-रोज़, किट-किट फ्यूज़, बल्ब-होल्डर तथा वुडन कैसिंग पर कर दर 12% से घटाकर 6%; एवं

(ग) हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर व डम्पर तथा मोबाईल क्रेन पर कर दर को 4% से घटाकर 2% ।

राजस्व आय पर अनुकूल प्रभाव होने पर ही इस व्यवस्था को आगे जारी रखा जाएगा।

(iii) हस्त औजार जैसे प्लायर्स, पिन्सर, कटर्स तथा हथौड़े आदि की वर्तमान कर दर को 10% से कम कर के 4% किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) मैंने पिछले वर्ष खुली चाय, जो बिना ब्राण्ड की है, पर कर दर 10% से घटाकर 4% की थी । खुली चाय को यदि ब्राण्ड नाम से पैकेट बना कर विक्रय किया जाता है तो 4% के अलावा ब्राण्ड नाम के साथ विक्रय की गई चाय पर देय 10% कर और लगता था। अब यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में इस पर भुगतान किये गये 4% कर के अतिरिक्त केवल 6% कर ही और देय होगा।

(v) राज्य में सोप-स्टोन पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इसकी वर्तमान कर दर 10% को घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है।

(vi) प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स की वर्तमान कर दर को 10% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि राज्य के प्लास्टिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके।

(vii) वर्तमान में अभ्रक 4% की दर से कर योग्य है। इसके औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं इसे कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(viii) स्टेनलेस स्टील से बनी सभी प्रकार की वस्तुओं, सेफ्टीरेजर एवं ब्लेड, बर्तन, कटलरी को छोड़कर, पर कर की दर 16% से कम कर 12% प्रस्तावित है।

(ix) राज्य में विनिर्मित सोने तथा चाँदी के आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसे विनिर्माताओं द्वारा एम.एम.टी.सी. से क्रय किये गये बुलियन को गत बजट में कर मुक्त किया गया था। अब यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक तथा हस्तकला एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम से क्रय किये गये बुलियन पर भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(x) राज्य में खल (Oil Cake) के कर मुक्त होने तथा अन्तर्राज्यीय विक्रय में 2% कर होने से आनेवाली कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से खल के अन्तर्राज्यीय विक्रय की कर दर 1% करना प्रस्तावित है।

(xi) नमदा, फेल्ट एवं फेल्ट से बनी वस्तुओं पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 6% से 4% करना प्रस्तावित है।

(xii) गत बजट में मैंने खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा विनिर्मित समस्त उत्पादो को वार्षिक टर्न-ओवर तीस लाख रुपये होने तक कर से मुक्त करने की घोषणा की थी। खादी ग्रामोद्योग की सहकारी समितियों को और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इनके लिये कर मुक्ति की वार्षिक टर्न-ओवर सीमा को तीस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

(xiii) वर्तमान में चमड़े से बने फुटवीयर को छोड़कर 100 रुपये मूल्य तक के फुटवीयर ही कर मुक्त हैं। मैं अब समाज के गरीब तबकों द्वारा काम में लिये जा रहे प्लास्टिक से बने या ढले जूते-चप्पलों को कर से पूर्णतया मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

(xiv) वर्तमान में 50 रुपये तक के खिलौनें कर मुक्त हैं तथा अन्य समस्त पर 10% कर संदेय है । मूल्य आधारित कर मुक्ति को समाप्त करने की भावना के अनुरूप इस छूट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। अब समस्त प्रकार के खिलौनों की कर दर 10% से घटाकर 4% की जा रही है।

163. मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपर्युक्त जनोपयोगी वस्तुओं के क्रम में इन प्रस्तावों द्वारा प्रदत्त कर राहतों का लाभ, इन वस्तुओं के मूल्य में कमी करते हुये साधारण उपभोक्ता तक पहुँचाया जाएगा।

मनोरंजन कर :

164. ऐसे नवनिर्मित सिनेमा-गृह जो 31 मार्च, 2000 तक प्रारम्भ होते हैं, उनके प्रारम्भ होने की तिथि से पाँच वर्षों तक मनोरंजन कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क :

165. वर्तमान में आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भू-खण्ड, मकान आदि के हस्तान्तरण पर सामान्यतः 10% मुद्रांक शुल्क देय हैं।

राज्य सरकार, नगरपालिकाओं, नगर विकास न्यासों, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्डों के मामलों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इसको घटाकर 6% किया गया हैं। इनके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। लोगों को बेचान अथवा आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज पंजीयन होने से कानूनी तौर पर राहत भी मिली हैं। इसी क्रम में, आम आदमी उक्त संस्थाओं द्वारा आवंटित सम्पत्ति का पंजीयन अपने नाम पर करा सके, इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित करता हूँ कि राज्य सरकार, नगरपालिकाओं, नगर विकास न्यासों, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) द्वारा जो भू-खण्ड एवं मकान आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन अथवा नीलामी द्वारा बेचान किये जाते हैं, उन पर इन निकायों से प्रथम आवंटी/क्रेता को आवंटन/ विक्रय का पंजीयन करवाने हेतु मुद्रांक शुल्क 10% से घटाकर 6% ही किया जाये, परन्तु यह सुविधा आवंटन करने वाली संस्था के इस आशय के प्रमाण पत्र पर ही देय होगी कि प्रथम आवंटी ने उन शर्तो एवं प्रयोजन का उल्लंघन नहीं किया है जिनके हेतु मूल आवंटन किया गया था। यह सुविधा आवंटन के पश्चात् अगले एक वित्तीय वर्ष में पंजीयन करवाने पर ही उपलब्ध होगी। पुराने

सभी मामलों में जहाँ पर उपर्युक्त सीमा यदि पहले ही समाप्त हो गयी है तो यह छूट दिनांक 31 मार्च, 1997 तक पंजीयन करवाने पर दिया जाना प्रस्तावित हैं।

166. उक्त संस्थाओं द्वारा समझौते से क्रय अथवा समर्पण से प्राप्त की गई भूमि को राज्य सरकार द्वारा आवाप्त भूमि की भाँति ही स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

भाग-III

वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमान :

167. वर्ष 1995-96 में बजटीय घाटा 309 करोड़ रुपये का आंका गया था।

168. चालू वर्ष के दौरान कतिपय अपरिहार्य व्ययों यथा राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दस प्रतिशत की अन्तरिम राहत की अतिरिक्त किश्त का चुकारा, बढ़ी हुई दरों पर बोनस का वर्ष 1993-94 का एरियर एवं बढ़ी हुई दरों के हिसाब से वर्ष 1994-95 का बोनस का चुकारा एवं अन्य मदों सहित 523 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के कारण यह घाटा बढ़कर 832 करोड़ रुपये हो जाता, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बेहतर संग्रहण तथा वसूली व मितव्ययता के फलस्वरूप 1995-96 के संशोधित अनुमानों में यह घाटा अब 56 करोड़ 85 लाख रुपये ही रहना अनुमानित किया गया है।

169. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बजट अनुमान 1995-96 के 309 करोड़ रुपये के समग्र घाटे में राजस्व घाटा 824 करोड़ 93 लाख

रुपये का अनुमानित था। यह घाटा काफी मात्रा में कम होकर संशोधित अनुमानों में केवल 546 करोड़ 60 लाख रुपये का ही रहना अनुमानित है। राजस्व घाटे में यह कमी परिहार्य राजस्व व्यय में कटौती तथा राजस्व आय में वृद्धि के कारण रही है।

170. वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

1	राजस्व प्राप्तियाँ	7750 करोड़ 95 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	8297 करोड़ 55 लाख रुपये
3	राजस्व खाते में घाटा जिसमें गैर-आयोजना राजस्व अधिशेष है	(-) 546 करोड़ 60 लाख रुपये 16 करोड़ 60 लाख रुपये
4	पूंजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	5140 करोड़ 31 लाख रुपये
5	पूंजीगत व्यय	4650 करोड़ 56 लाख रुपये
6	पूंजीगत आधिक्य	(+) 489 करोड़ 75 लाख रुपये
7	बजटीय घाटा	(-) 56 करोड़ 85 लाख रुपये

171. चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 3200 करोड़ रुपये का है। इस आकार के निवेश को पूर्ण करने के लिये शासन कृत-संकल्प है।

172. वर्ष 1994-95 के वास्तविक लेखों के अनुसार पिछले वर्षों का 8 करोड़ 85 लाख रुपये का घाटा रहा तथा चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 56 करोड़ 85 लाख रुपये का घाटा अनुमानित होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में 65 करोड़ 70 लाख रुपये का बजटीय घाटा रहने का फिलहाल अनुमान है। इस घाटे को भी वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों में कठोर वित्तीय प्रबन्धन तथा बकाया आदि की बेहतर वसूली के माध्यम से संतुलित किये जाने का प्रयत्न रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम चालू वित्तीय वर्ष को एक संतुलित बजट के साथ समाप्त कर सकेंगे।

173. राज्य सरकार ने अपने विभागों के परिहार्य व्यय को कम करने तथा उपलब्ध संसाधनों में व्यय की प्राथमिकता निर्धारित करने के उद्देश्य से शून्य आधारित बजट प्रणाली के आधार पर विभागों के व्यय की समीक्षा प्रारम्भ की है। यद्यपि इसकी भावना सारे विभागों के अनुमानों में परिलक्षित होती है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रणाली को गहनता से

मूर्त रूप देने के लिए विशेष 12 विभागों को चिन्हित किया गया है। इसके अन्तर्गत की गई समीक्षा के सकारात्मक परिणाम आने प्रारम्भ हो गये हैं।

174. हमारे लिये यह सन्तोष का विषय है कि शासन द्वारा किये गये प्रशासनिक सुधारों और राजकीय मितव्ययता के प्रयासों के परिणाम अब परिलक्षित होने लगे हैं। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य के लिए 31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की समीक्षा में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि राजस्थान में मुख्य करों की संग्रहण लागत का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है व बिक्री कर के संदर्भ में यह पिछले वर्षों से घटकर वर्ष 1994-95 में राष्ट्रीय औसत के बराबर आ गया है।

आय-व्ययक अनुमान 1996-97 :

175. अगले वर्ष 1996-97 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

1	राजस्व प्राप्तियाँ	7514 करोड़ 58 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	7877 करोड़ रुपये
3	राजस्व घाटा जिसमें गैर-आयोजना राजस्व अधिशेष है	(-) 362 करोड़ 42 लाख रुपये 84 करोड़ 59 लाख रुपये
4	पूंजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखों की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	3774 करोड़ 29 लाख रुपये
5	पूंजीगत व्यय	3550 करोड़ 96 लाख रुपये
6	पूंजीगत आधिक्य	(+) 223 करोड़ 33 लाख रुपये
7	बजटीय घाटा	(-) 139 करोड़ 9 लाख रुपये

176. वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में सम्मिलित संसाधनों में बाजार ऋण एवं केन्द्रीय आयोजना सहायता की राशि चालू वित्तीय वर्ष के समान स्तर पर अंकित की गई है जबकि गत वर्षों की परिपाटी के

आधार पर उक्त दोनों मदों के अन्तर्गत राज्य को योजना आयोग द्वारा 140 करोड़ रुपये की अधिक राशि स्वीकृत किये जाने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 1996-97 के अनुमानों में जो बजटीय घाटा 139 करोड़ 9 लाख रुपये का इंगित किया गया है, उसे भी हम उक्त प्रकार प्राप्त होने वाली राशि तथा करों के सुसंगतीकरण द्वारा संतुलित कर देंगे।

177. मैंने गत बजट प्रस्तुत करते समय गैर-आयोजना राजस्व घाटे को दो वर्षों में समाप्त कर दिये जाने का संकल्प किया था। तदनुसार, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि गैर-आयोजना राजस्व घाटा जो चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में 73 करोड़ 56 लाख रुपये का आंका गया था, न केवल संतुलित किया जा चुका है वरन् अब वर्ष के अन्त तक गैर-आयोजना राजस्व घाटे में 16 करोड़ 60 लाख रुपये का अधिशेष अनुमानित है। इसी क्रम की निरन्तरता में वर्ष 1996-97 में गैर-आयोजना राजस्व घाटे में 84 करोड़ 59 लाख रुपये का अधिशेष अनुमानित किया गया है। मुझे सन्तोष है कि इस प्रकार सरकार ने अपने संकल्प की पूर्ति कर दी है।

178. अगले वर्ष के 3200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आयोजना व्यय के वित्त पोषण हेतु राज्य के स्वयं के संसाधन 1280 करोड़ 48 लाख

रुपये, बाजार एवं संस्थागत ऋण 942 करोड़ 12 लाख रुपये, केन्द्रीय सहायता 488 करोड़ 31 लाख रुपये, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु 350 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध होना आंका गया है।

लेखानुदान :

179. विधानसभा की कार्यवाही परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रतीत होता है कि सदन के पास बजट अनुमान 1996-97 पर विस्तृत रूप से चर्चा कर पारित करने का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है अतः मैं सदन के समक्ष फिलहाल अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह के व्यय की स्वीकृति हेतु लेखानुदान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेखानुदान में माँग संख्या 7 निर्वाचन, माँग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत एवं माँग संख्या 45 राज्य कर्मचारियों को ऋण - अनाज ऋण आदि के लिए पूरे वर्ष के लिए वांछित राशि की माँग की गई है क्योंकि इन मदों में होने वाले सामयिक व्यय इन्हीं माहों मे होने की सम्भावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अनुदान माँगों में प्रस्तावित राशि से नवीन सेवा के लिए कोई व्यय नहीं किया जाएगा तथापि चुनाव, प्राकृतिक आपदाओं से राहत तथा चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत

आवश्यक सेवाओं हेतु आवश्यकता पड़ने पर नवीन सेवाओं पर भी व्यय करने की अनुमति के प्रस्ताव हैं।

180. इस आशा व सकंल्प के साथ कि मेरे ये विकासोन्मुख बजट प्रस्ताव राज्य के विकास व जनता के कल्याण में उत्तरोत्तर प्रगति के साधन बनें ताकि राजस्थान देश के अन्य विकसित राज्यों की गौरवशाली पंक्ति में खड़ा हो सके, मैं इन बजट प्रस्तावों को मय लेखानुदान प्रस्ताव के, स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द